न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का कठूमर बनाम रत्तीराम S/o रोशन, सतीश S/o विजयपाल ब्राह्मण कठूमर

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- 47/17

निर्णय दिनाँक :- 31-10-17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कठूमर की आ.ख.न. 215 कुल रकबा 0.06 किस्म जमीन गै.मु. रास्ता में से 250 वर्गफुट रकबे पर श्री रत्तीराम S/o रोशन, सतीश पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रत्तीराम S/o रोशन सतीश S/o विजयपाल ने कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का कठूमर द्वारा दिनाँक 29/9/17 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रत्तीराम S/o रोशन सतीश S/o विजयपाल जाति ब्राह्मण निवासी कठूमर को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... सतीश / रत्तीराम उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 215 रकबा 0.06 में से 250 वर्गफुट रकबे किस्म गैरमुमकिन रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.01 का 50 गुणा 1/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी कठूमर भू.अ.निरी. .... कठूमर को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 31/10/17

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)